प्रेस नोट **दिनांक 01.06.2025**

घोसी पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कब्जे से 02 अदद पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा व घरों मे चोरी करने हेतु ताला तोडने के अन्य उपकरण व 02 मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 01.06.2026 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 218/2026 धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. तथा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1. आशू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बडागांव डढवापार थाना घोसी जनपद मऊ, 2. दानिश उर्फ दाना पुत्र जैनुद्दीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मेउडी थाना हलधरपुर जनपद मऊ, 3. अंकित पाल पुत्र गोरखनाथ पाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कोहडा भावर थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, 4. इन्द्रजीत यादव पुत्र रविन्द्र उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्वाली बसन्त भटवली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, 5. शुभम यादव पुत्र रामचन्दर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी खाले का पूरा बोझी थाना घोसी जनपद मऊ को असना नहर पुलिया के पास से डकैती की योजना बनाते पांच नफर अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर मय एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर आदि चोरी करने के उपकरण व बिना कागजात के दो मोटरसायकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. आशू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बडागांव डढवापार थाना घोसी जनपद मऊ
2. दानिश उर्फ दाना पुत्र जैनुद्दीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मेउडी थाना हलधरपुर जनपद मऊ,
3. अंकित पाल पुत्र गोरखनाथ पाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कोहडा भावर थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर,
4. इन्द्रजीत यादव पुत्र रविन्द्र उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्वाली बसन्त भटवली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर,
5. शुभम यादव पुत्र रामचन्दर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी खाले का पूरा बोझी थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 218/2026 धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी-

1- अदद अवैध पिस्टल 32 बोर मय एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 32 बोर

2- एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3- बिना कागजात के दो मोटरसायकिल

4- चोरी करने के उपकरण

आपराधिक इतिहास:-

1- अंकित पाल पुत्र गोरखनाथ नि0 कोहडा भावर थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर,
मु0अ0सं0 1195/2020 धारा 323, 325, 504 बडहलगंज गोरखपुर।

1- आशु यादव पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 बडागांव थाना घोसी जनपद मऊ।
मु0अ0सं0 0247/2025 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(4), 351(2), 352 थाना घोसी मऊ।

2- शुभम यादव पुत्र रामचन्द्र यादव नि0 खालेपुर थाना घोसी जनपद मऊ
मु0अ0सं0 0103/2020 धारा 188, 269 भादवि थाना दोहरीघाट मऊ।
मु0अ0स0 405/24 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना घोसी मऊ।
मु0अ0स0 0051/2025 109, 115(2), 3(5), 351(2), 352 बीएनएस थाना दोहरीघाट मऊ।

प्रेस नोट

01/06/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1- थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा दिनांक 01.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर रोडवेज से रेलवे स्टेशन को जाने वाली रोड से मु0अ0स0 76/2026 धारा 64(1)/137(2)/87 बी0एन0एस0 व 3/4(1) पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त सागर जायसवाल पुत्र शेषनाथ जायसवाल सा0 राजगद्दी मैदान थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

2- थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 01.06.2026 को हनुमान मंदिर रणवीर के पास से मु0अ0स0 184/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त अनिल राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी ग्राम रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायलय किया गया।

3- थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सत्यम गुप्ता पुत्र बृजेश गुप्ता निवासी ग्राम मधुबन पाती गली थाना मधुबन जनपद मऊ तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमरजीत पुत्र कौलेश्वर निवासी ख्वाजाजहांपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना हलधरपुर क्षेत्रान्तर्गत हुयी गोली हत्या काण्ड से संबंधि 01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद देशी नाजायज पिस्टल तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी मधुबन मऊ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.06.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा हलधरपुर स्टेशन से मु0अ0स0 105/2026 धारा 3(5), 103(1), 61(2), 351(3) बी0एन0एस0 में वाछित अभियुक्त अवनीश यादव उर्फ टीपू पुत्र विनोद यादव निवासी ग्राम ढोलवन थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 31.05.2026 को भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः–

1- अवनीश यादव उर्फ टीपू पुत्र विनोद यादव निवासी ग्राम ढोलवन थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोंग –

1- से मु0अ0स0 105/2026 धारा 3(5), 103(1), 61(2), 351(3) बी0एन0एस0।

बरामदगी-

1- 01 अदद नाजायज पिस्टल .32बोर।
2- 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 25/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ
2- मु0अ0सं0 122/2025 धारा 110/115(2)/117(2)/125 बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ
3- मु0अ0सं0 105/2026 धारा 3(5),103(1),61(2),351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना हलधरपुर मऊ र।

घटना का दिनांक व समय –

28.05.2026 समय 21.00 बजे

अभियुक्त गिरफ्तार समय व स्थान –

दिनांक 01.06.2026 को समय 05.10 बजे रेलवे स्टेशन हलधरपुर के पास।

पुलिस का संदेश:-

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्यरत है। आमजन से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। संपर्क नंबर: 112 या स्थानीय थाना।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 01.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 42 टीम गठित कर जनपद के 48 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1700 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 453 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

गुमशुदा 06 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 100,999/- रुपये) बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद मऊ के विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 06 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता, थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा आवेदक 1. प्रवीण पाण्डेय पुत्र रमेंद्र निवासी ग्राम रामपुर धनौली थाना दोहरीघाट मऊ, 2. सतीश सिंह पुत्र जयराम सिंह साकिन गोठा थाना दोहरीघाट, दक्षिण कोपागंज टीम द्वारा 1. विपुल यादव निवासी चिस्तीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ तथा थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा कुल 03 आवेदकों के

मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल व आवदकों का विवरण: –

1- प्रवीण पाण्डेय पुत्र रमेंद्र निवासी ग्राम रामपुर धनौली थाना दोहरीघाट मऊ
2- सतीश सिंह पुत्र जयराम सिंह साकिन गोठा थाना दोहरीघाट
3- विपुल यादव निवासी चिस्तीपुर थाना कोपागंज वीवो कीमत लगभग 23000/-
4- मंजर कमाल OPPO A 57
5- मंजर कमाल VIVI0 Y8E
6- इम्तियाज अहमद REDMI AI PLUS

कुल कीमत लगभग 100,999/- रुपये)

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

प्रेस नोट/यातायात माह- मई 2026-

श्रीमान् निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,यातायात एवं सड़क सुरक्षा,उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में जन एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद मऊ में "मॉडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न,हूटर, सायरन,फॉल्ट नम्बर प्लेट व नशे की हालत में वाहन चलाने वालों" के विरुद्ध माह – मई में समय-समय पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पूरे माह मे जनपद के समस्त थानों व यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गयी जिसके अन्तर्गत कृत प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

मॉडिफाइड साइलेन्सर में 358 चालान ,प्रेशर हॉर्न/हूटर/सायरन में 170 चालान, फॉल्ट नम्बर प्लेट में 525 चालान तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वालो के विरुद्ध 108 चालान एवं अन्य धाराओं में 18145 सहित कुल 19309 चालान जिस पर 27656800/- रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया व 189 वाहनों को सीज किया गया । कुल 353 चालान निस्तारित हुए जिससे 331000/- रुपये शमन शुल्क (ऑनलाइन/मौके पर) प्राप्त हुए ।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में साइलेन्सर,प्रेशर हॉर्न,हूटर,सायरन आदि की खरीद/बिक्री करने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गयी कि साइलेन्सर,प्रेशर हॉर्न,हूटर,सायरन आदि की खरीद/बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 01 पीड़ित की कुल 20,000/- रुपये धनराशि वापस कराई गई -

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई
उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के थाना घोसी द्वारा पीड़ित 1. लालमोहन यादव पुत्र भुजन यादव निवासी सिकड़ी कोल थाना मधुबन जनपद मऊ को कुल धनराशि 20,000/- उनके खाते मे वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।